राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2022/789 दिनांक : 20/12/22

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित एवं दीर्घकाल से अनिस्तारित आवास/फ्लै्ट्स को ई–ऑक्शन/बुधवार नीलामी उत्सव/ई–बिड–सबमिशन द्वारा नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत निस्तारण उपरान्त शेष रहे आवास/फ्लै्ट्स को किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत निस्तारण करने तथा आवास/फ्लै्ट्स की मण्डल द्वारा निर्धारित लागत की 10 प्रतिशत राशि एवं नियमानुसार देय अन्य राशि ईकाई का भौतिक कब्जा हस्तान्तरण से पूर्व जमा कराने एवं लागत की शेष राशि 13 वर्ष की 156 मासिक किश्तों में वसूल किये जाने की स्वीकृति कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/29 दिनांक 27–05–2020 के द्वारा प्रदान की गयी थी। जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति मण्डल की 242 वीं बोर्ड बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 242.16 में प्राप्त कर कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/168 दिनांक 25–06–2020 द्वारा सम्प्रेषित की गयी।

उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में मण्डल द्वारा प्रदेशभर में विभिन्न आवासीय योजनओं में बुधवार नीलामी उत्सव/ई–बिड–सबमिशन के माध्यम से किराया क्रय पद्धति में आवास/फ्लै्ट्स आवंटन सहित आवंटन पत्र भी निरन्तर रूप से जारी किये जा रहे हैं। किराय क्रय पद्धति के अन्तर्गत निस्तारित परिसम्पत्तियों के प्रकरणों में आवंटी/क्रेता द्वारा आवंटन पत्र की मांग राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में जमा करवाया जाना नियत है। कोविड–19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ऐसे क्रेताओं/आवंटियों द्वारा आवंटन पत्र की मांग राशि जमा करवाने में असमर्थ रहने के कारण आवंटित आवास/फ्लैट्स का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका है।

बुधवार नीलामी उत्सव/ई–बिड–सबमिशन के अन्तर्गत किराया क्रय पद्धति में विक्रित आवास/फ्लैट्स के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें क्रेता/आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की मांग राशि जमा नहीं करवायी गयी है, उनमें आवंटन पत्र की मांग राशि पर मण्डल नियमानुसार ब्याज/शास्ती वसूल करते हुए, विक्रित/आवंटित ईकाई का भौतिक कब्जा दिये जाने एवं मासिक किश्त कब्जा प्राप्त करने के अगले माह से प्राप्त करने की स्वीकृति पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2021/760 दिनांक 10–11–2021 के द्वारा दिनांक 31–03–2022 तक प्रदान की गयी थी।

अतः मण्डल द्वारा कोविड–19 महामारी (दिसम्बर 2019) के बाद लॉटरी/ई–बिड सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव द्वारा आवंटित/विक्रित आवास/फ्लैट्स की मांग राशि मण्डल नियमानुसार ब्याज/शास्ती वसूल करते हुए कब्जा दिये जाने एवं मासिक किशत कब्जा प्राप्त करने के अगले माह से प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति दिनांक 31–03–2023 तक प्रदान की जाती हैं।

उक्त आदेशों को समक्ष स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

D/DRB/OFFICE ORDER

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
13. उप आवासन आयुक्त, मुख्यालय, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत–................, रा0आ0म0, ... (समस्त)
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–..................., रा0आ0म0, ...
7. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
8. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त एनालिस्ट

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

D/DRB/OFFICE ORDER